

12.12.2017

अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत हैं।

परिवादी रामौतार स्वतः उपस्थित।

अभियुक्त कमलेश शर्मा पूर्व से अनुपस्थित।

अभियुक्त कमलेश शर्मा के कोई पता न चलने के संबंध में पूर्व में आदेश पत्रिका दिनांक 13.11.2017 के अनुसार तामीलकर्ता पुलिस अधिकारी प्रधान आरक्षक सत्यप्रकाश शर्मा (सी0डब्ल्यू0 1) के कथन लेखबद्ध किये गये। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त की ओर से मेमो सहित अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र शर्मा ने उपस्थित होकर आवेदन पेश किया कि अभियुक्त उपस्थित होकर राजीनामा करना चाहता है, स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट का आदेश न किया जाये और अभियुक्त को उपस्थिति हेतु एक समय दिया जाये। अपराध शमनीय प्रकृति का होने, अभियुक्त की प्रथम उपस्थिति के प्रक्रम पर लंबित होने व राजीनामा की संभावना प्रकट होने से दिनांक 13.11.2017 को स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी नहीं किया गया।

लोक अदालत दिनांक 09.12.2017 के समक्ष भी अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ और लोक अदालत के समक्ष अभियुक्त की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने भी व्यक्त किया कि उनका अभियुक्त से कोई सम्पर्क नहीं हो पाया है। स्पष्ट है कि अभियुक्त जान-बूझकर अपने को छिपा रहा है और आदेश पत्रिका दिनांक 13.11.2017 के अनुसार प्रस्तुत तामील रिपोर्ट, तशदीक पंचनामा एवं तामीलकर्ता पुलिस अधिकारी के कथन से यह समाधानप्रद रूप से साबित है कि अभियुक्त कमलेश शर्मा फरार हो गया है, वह अपनी उपस्थिति को छिपा रहा है और उसके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है।

अतः अभियुक्त कमलेश शर्मा को फरार घोषित किया जाता है और उसके विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जाये, प्रथम उपस्थिति की टीप अंकित की जाये।

स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट की प्रविष्टि स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट रजिस्टर में की जावे, पावती ली जावे और थाना सिटी कोतवाली में स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट के आमद की पावती अभिलेख पर सुरक्षित रखी जावे।

प्रकरण के कवर पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जाये कि अभियुक्त फरार है और प्रकरण सुरक्षित रखा जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)
न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी
भिण्ड (म०प्र०)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)